न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 13/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/160

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पुखसिंह पुत्र श्री दलसिंहजी, जाति रजपूत, निवासी गुरडाई, तहसील पाली, जिला पाली, (राज.)		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :– 30-11-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध नायब तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2021 पुराने प्रकरण संख्या 149/2020 बअनवान सरकार बनाम पुखसिंह में पारित आदेश दिनांक 06.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि खसरा नम्बर 163 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा की कृषि भूमी का खातेदार अपीलांट रहा है तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 14.01.2020 को खसरा नम्बर 163 में से 4 बिस्वा भूमी कम कर अलग खसरा नम्बर 163/2 दर्ज कर नामानतरकरण संख्या 2001 गै.मु. रास्ता दर्ज किया। जबकि मौके पर उक्त भूमी का कब्जा व उपयोग उपभोग अपीलांट का है। गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के पश्चात मुकदमा संख्या 149/2020 दर्ज किया तत्पश्चात पत्रावली ट्रांसफर होकर दिनांक 22.06.2021 को नायब तहसीलदार पाली के यहाँ दर्ज हुई व अपीलांट को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता तारीख पेशी दिनांक 29.6.2021 को तहसील कार्यालय में उपस्थित थे व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जो आदेशिका में भी दर्ज है व तारीख पेशी 06.07.2021 मुकर्रर की गई। उक्त दिनांक को अधिवक्ता के सास का देहान्त हो जाने के बावजूद व सहायक अधिवक्ता मुस्ताक खान के उपस्थित रहने के बावजूद अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा अपनी ओर से यह जवाब भी दिया गया कि उक्त भूमी का कब्जा अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार के हित में नहीं दिया गया हैं, ना ही धारा 251क की पालना में कोई राशि प्राप्त की है। सहायक कलेक्टर, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 618/2016 में दिनांक 02.06.2016 को पारित एकतरफा निर्णय की जानकारी होते ही राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील 10/2020 पेश की जिसमें दिनांक 04.02.2020 को सहायक कलेक्टर, पाली द्वारा पारित एकतरफा आदेश दिनांक 02.06.2016 को स्थगित कर दिया गया। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा दिनांक 02. 6.2016 की पालना हेतु इजराय भी किसी के द्वारा सहायक कलेक्टर पाली के यहां पेश नहीं की गई। तथा न ही सहायक कलेक्टर पाली के यहां से कभी भी 5 वर्षो से निष्पादन की कार्यवाही भी की गई। अतः जैर अपील आदेश निरस्तनीय है। तहसीलदार पाली द्वारा बिना आदेश के ही रास्ता दिनांक 14.1.2020 को दर्ज कर बेदखल करने का आदेश धारा 91 के तहत दे दिया। चुंकि मूल आदेश के विरूद्ध आर.ए.ए पाली व राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन है तो धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत रास्ते की भूमि मानकर कार्यवाही की जाना विधिविरूद्ध होने से जैर अपील आदे[illegible]नीय है। नारायण के वारिसान चुन्नीलाल वगैरा द्वारा [illegible] के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व न्यायालय [illegible] 23.5.2016 में अपीलांट की दिवार होना दर्ज है तथा पटवारी द्वारा भी दिनांक 22.06.2021 की अप[illegible]र्ट में दिवार बनी होना दर्ज किया है तथा ज[illegible]रास्ता आदेश दिनांक [illegible]6 की पालना में अमल में ही नहीं आया तो धारा 91 के तहत कार्यवाही विधिविरूद्ध होनें से जैर अपील आदेश काबिले खारिज है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः..........2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

खातेदार है व विवादित भूमी निजी अपीलांट की भूमी है तथा खातेदार को किसी भी आदेश की पालना में बेदखल किया जाने हेतु आदेश 21 सी.पी.सी. की पालना के तहत इजराय की कार्यवाही की जानी थी तथा उक्त कार्यवाही राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत किया जाना कानूनन था लेकिन सहायक कलेक्टर के यहाँ कोई इजराय पेश ही नहीं हुई ना ही इजराय की पालना में तहसीलदार को रास्ता दर्ज करने का आदेश ही दिया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार बदेखली के किसी भी निर्णय की पालना धारा 184(1) के अनुसार 1 जुलाई से 15 अप्रैल के बीच खातेदारों को बेदखल करने का कानूनन अधिकार नहीं है अतः नायब तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित कर पुलिस थाना गुडा एन्दला को दिनांक 14.7.2021 तक पुलिस इमदाद के जरिये अपीलांट को बेदखल करने, दीवार तोड़ने व तारबंदी हटाई जाने का आदेश देना विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। चुन्नीलाल वगैरह खसरा नंबर 161 की भूमी में प्लॉट काटकर आबादी बसाना चाहता है अतः अपीलांट की भूमी से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था जबकि खसरा नम्बर 160 दक्षिण की तरफ से खसरा 161 में आने जाने हेतु पहले से रास्ता मौजूद है जब रास्ता पहले से मौजूद है तो 251क के तहत कार्यवाही कर रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है उक्त विवादित बिन्दु मूल अपील राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण से निर्णित होगा। अतः नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पारित जैर अपील आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का गुरडाई द्वारा बाद जांच भू.अ.नि. रूपावास द्वारा प्रस्तुत दिनांक 6.10.2020 की अतिक्रमण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का खसरा नंबर 163/2 रकबा 0.04 बीघा किस्म न.दो. (गैर मुमकिन रास्ता) की राजकीय भूमी पर दीवार व तारबंदी कर अतिक्रमण किया था। जिस पर प्रकरण तहसीलदार द्वारा मु.न. 149/2020 दर्ज किया तथा बाद में पत्रावली का ट्रांसफर न्यायालय नायब तहसीलदार पाली को हो जाने पर मुकदमा संख्या 2/2021 के दर्ज की जाकर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस अपीलांट की पत्नी द्वारा बाद तामील हुआ। तथा अपीलांट व उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया परन्तु किसी भी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया अतः अपीलांट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 06.07.2021 को बेदेखली का जैर अपील आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत है अतः अपील अपिलांट निरस्त फरमाई जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु 2 है :-

1. क्या नायब तहसीलदार पाली द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली व राजस्व मण्डल के स्थगन लागू होते हुए फैसला किया गया है ?
2. क्या नायब तहसीलदार ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए जवाब पर विवेचन कर निर्णय किया है ?

पटवारी हल्का गुरडाई द्वारा खसरा नंबर 163/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म नं.दो.(गै.मु. रास्ता) बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक रूपावास द्वारा बाद जाँच पेश की गई उसके आधार पर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 149/2020 दर्ज किया गया बाद में पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार, पाली को ट्रांसफर होकर प्रकरण संख्या 0[illegible]लांट को अतिक्रमण करने बाबत जरिये नोटिस तलब करने पर [illegible]लाय अधिवक्ता के दिनांक 29.6.2021 को उपस्थित हुअ[illegible] समय चाहा। इस पर समय दिया जाकर पत्रा[illegible]शी दिनांक 6.7.2021 को मुकर्रर की गई। उक्त जैर अपील आराजी के संब[illegible] पूर्व में सहायक कलक्टर पाली के यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत विचाराधीन प्रकरण संख्या 618/2016 में दिनांक 2.6.2016 को उक्त आराजी को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार पाली द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 2001 दिनांक 14.1.2020 द्वारा उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.............3

को गै.मु. रास्ता दर्ज कर अमलदरामद किया। तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 149/2020 दर्ज कर दिया जबकि सहायक कलक्टर पाली के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा मुकदमा संख्या 10/2020 में स्थगन आदेश पारित किया गया। तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी प्रकरण संख्या 2020/2769 में उक्त राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कायम रखा गया। यद्यपि उक्त प्रकरणों मे तहसीलदार व नायब तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया गया था परन्तु स्थगन आदेश की प्रति अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मातहत अदालत में पेश की गई थी जो मातहत अदालत की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 20.10.2020 में अंकन से स्पष्ट है कि आराजी के संबंध में स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए व मातहत अदालत के संज्ञान में आ जाने के बावजूद नायब तहसीलदार पाली द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 15.12.2020 तहसीलदार के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया गया था। उक्त प्रस्तुत जवाब को तहसीलदार, पाली द्वारा रेकर्ड पर लेने के उपरांत भी पारित जैर अपील आदेश में नायब तहसीलदार पाली द्वारा जवाब का हवाला नहीं दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार पाली द्वारा जवाब बाबत उचित विवेचन नहीं किया गया तथा जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से काबिले खारिज है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं मातहत अदालत नायब तहसीलदार पाली द्वारा तहसीलदार पाली के पुराने प्रकरण संख्या 149/2020 व क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से नायब तहसीलदार पाली के यहां दर्ज प्रकरण संख्या 02/2021 बअनवान सरकार बनाम पुखसिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2020 को अपास्त किया जाता है। तथा नायब तहसीलदार पाली/प्राधिकारी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में अद्यतन रिपोर्ट लेकर, अपीलार्थी को सुनवाई का मौका देकर नियमानुसार नवीन निर्णय करने को स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:17 IST
Reason: SelfAttested